

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारी:- श्री मासिंगाराम (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या:- 25/2021

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. मोहनसिंह पुत्र खेतसिंह जाति रावत निवासी गजनाई तहसील सोजत जिला पाली राज0 हंजा पत्नी खेतसिंह जाति रावत निवासी गांव गजनाई तहसील सोजत जिला पाली		1. गेनसिंह पुत्र उमसिंह जाति रावत निवासी गजनाई तहसील सोजत जिला 2. पाली राज0 प्रेमसिंह पुत्र उमसिंह के का0मु0 3. 2/1 लक्ष्मणसिंह पुत्र प्रेमसिंह 2/2 अण्चीदेवी पत्नी प्रेमसिंह 2/3 शांता पुत्री प्रेमसिंह 2/4 पोनी पुत्री प्रेमसिंह 2/5 पुष्पा पुत्री प्रेमसिंह 2/6 विद्या पुत्री प्रेमसिंह 2/7 वैसुका पुत्री प्रेमसिंह 2/8 सुकिया पुत्री प्रेमसिंह 2/9 कोकिला पुत्री प्रेमसिंह 2/10 नैना पुत्री प्रेमसिंह जाति रावत निवासी गजनाई तहसील सोजत जिला पाली 3. तहसीलदार (भूमि धारक) तहसील सोजत जिला पाली राज0



राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति:-

1. श्री अर्जुनसिंह राजपुरोहित, अधिवक्ता वादीगण उपस्थित।
2. श्री शरीफ मो घोसी, अधिवक्ता प्रतिवादी उपस्थित।

—: निर्णय :-

दिनांक - 18/11/2024

अधिवक्ता मय वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा गजनाई के खसरा नम्बर 15, 558, 561, 652 कुल खसरा 04 कुल रकबा 0.9600 हैक्टर की कृषि भूमि संयुक्त कब्जे काश्त की आई हुई स्थित है। उक्त भूमि का वादी द्वारा बाई मिट्स एण्ड वाउण्डस बंटवाडा चाहा गया है। प्रकरण में दिनांक 07.09.2022 को बाद सुनवाई वादी का वाद प्राथमिक रूप से डिकी किया जाकर रेकर्ड में वादी का नाम दुरुरत इन्द्राज कर वादी की भूमि का बाई मिट्स एण्ड वाउण्डस बंटवाडा किये जाने हेतु प्राथमिक डिकी जारी की जाकर उक्त भूमि का विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार सोजत को आदेशित किया गया। तहसीलदार सोजत ने क्रमांक/राजस्व/1533 दिनांक 16.10.2024 को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में पेश किया जो सा0मि0 है। प्राप्त विभाजन पर अनुसार वादी अधिवक्ता द्वारा निर्णय पारित कर डिकी जारी किये जाने हेतु निवेदन किया।

उभय पक्ष को सुना गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। तहसीलदार सोजत द्वारा प्रमाणित विभाजन प्रस्ताव का गहनता पूर्वक अध्ययन किया गया। वस्तुतः माफिक

उपखण्ड अधिकारी
सोजत जिला पाली

विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 21.08.2024 के अनुसार वादी का राजस्व वाद डिक्री किया जाकर विवादित भूमि में वादी की भूमि का पक्षकारानों में बंटवाडा किया जाना उचित समझते

—: आदेश :-

अतः माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 21.08.2024 अनुसार डिक्री सहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा गजनाई के खसरा नम्बर 15, 558, 561, 652 कुल खसरा 04 कुल रकबा 0.9600 हैक्टर की संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि का बंटवाडा / विभाजन खातेदारों के मध्य खसरा नम्बर, रकबा एवं लगान का निर्धारण निम्नांकित रूप से किया जाता है तथा विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शे को निर्णय एवं डिक्री पर्चा का भाग बनाया जाता है -

क्र.स.	नाम खातेदार	ख0सं0	रकबा	किरम	लगान
1.	मोतीसिंह पुत्र खेतसिंह 1/2, हंजा पत्नि खेतसिंह हि0 1/2, जाति रावत सा0 देह खातेदार	15, 562	0.20 0.1133	बा.दो. चा.दो. जा.दो.	
		02	0.3133		
2.	गेनसिंह पुत्र उमसिंह जाति रावत सा0 देह खातेदार	15/2 558/1 562/2	0.20 0.040 0.0733	बा.दो. चा.दो. जा.दो.	
		03	0.3133		
3	लक्ष्मणसिंह पुत्र प्रेमसिंह अणचीदेवी पत्नी प्रेमसिंह, शांता पुत्री प्रेमसिंह, पोनी पुत्री प्रेमसिंह, पुष्पा पुत्री प्रेमसिंह, विद्या पुत्री प्रेमसिंह, वैसुका पुत्री प्रेमसिंह, सुकिया पुत्री प्रेमसिंह, कोकिला पुत्री प्रेमसिंह, नैना पुत्री प्रेमसिंह	15/1 558 562/1	0.20 0.04 0.0734	बा.दो. चा.दो. जा.दो.	
		01	0.3134		
4	गेनसिंह पुत्र उमसिंह हि. 1/3, लक्ष्मणसिंह पुत्र प्रेमसिंह, अणचीदेवी पत्नी प्रेमसिंह, शांता पुत्री प्रेमसिंह, पोनी पुत्री प्रेमसिंह, पुष्पा पुत्री प्रेमसिंह, विद्या पुत्री प्रेमसिंह, वैसुका पुत्री प्रेमसिंह, सुकिया पुत्री प्रेमसिंह, कोकिला पुत्री प्रेमसिंह, नैना पुत्री प्रेमसिंह हि.1/3, मोतीसिंह पुत्र खेतसिंह हि. 1/3, हंजा पत्नि खेतसिंह हि. 1/3 जातिगण रावत सा0 देह खातेदार	561	0.02	गे.मु. बेरा	


तहसीलदार सोजत उक्तानुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम कर पालना न्यायालय हाजा को प्रस्तुत करें। प्रतिवादी को वादी के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी करने से जरिये रस्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता है। उक्तानुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। इस निर्णय, डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति तहसीलदार सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित करके पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाव्ला दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो

(M)

(मासिंगाराम)
उपखण्ड अधिकारी सोजत
सोजत, जिला-राजौर

यह निर्णय आज दिनांक 18/11/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद
हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(मासिगाराम)
उपस्थंड अधिकारी, सोपत
सोपत, जिला सोनपाट

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ020. नियम 6-7 जाब्या दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

बइजलाश श्री मारिंगाराम, आर.ए.एस.

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. मोहनसिंह पुत्र खेतसिंह जाति रावत निवासी गजनाई तहसील सोजत जिला पाली राज0 हंजा पत्नी खेतसिंह जाति रावत निवासी गांव गजनाई तहसील सोजत जिला पाली		1. गेनसिंह पुत्र उमसिंह जाति रावत निवासी गजनाई तहसील सोजत जिला पाली राज0 2. प्रेमसिंह पुत्र उमसिंह के का0मु0 3. 2/1 लक्ष्मणसिंह पुत्र प्रेमसिंह 2/2 अणचीदेवी पत्नी प्रेमसिंह 2/3 शांता पुत्री प्रेमसिंह 2/4 पोनी पुत्री प्रेमसिंह 2/5 पुष्पा पुत्री प्रेमसिंह 2/6 विद्या पुत्री प्रेमसिंह 2/7 वैसुका पुत्री प्रेमसिंह 2/8 सुकिया पुत्री प्रेमसिंह 2/9 कोकिला पुत्री प्रेमसिंह 2/10 नैना पुत्री प्रेमसिंह जाति रावत निवासी गजनाई तहसील सोजत जिला पाली 3. तहसीलदार (भूमि धारक) तहसील सोजत जिला पाली राज0



राजस्व वाद 41/2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी श्री धर्माचन्द देवासी अधिवक्ता वादी तथा श्री विनोद वैष्णव अधिवक्ता प्रतिवादीगण पेश होकर हुकम दिया जाता है कि माफिक डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा गजनाई के खसरा नम्बर 15, 558, 561, 652 कुल खसरा 04 कुल रकबा 0.9600 हैक्टर की संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि का बंटवाड़ा / विभाजन खातेदारों के मध्य खसरा नम्बर, रकबा एवं लगान का निर्धारण निम्नांकित रूप से किया जाता है तथा विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शे को निर्णय एवं डिक्री पर्चा का भाग बनाया जाता है -

क्र.स.	नाम खातेदार	ख0रां0	रकबा	किरम	लगान
1.	मोतीसिंह पुत्र खेतसिंह 1/2, हंजा पत्नी खेतसिंह हि0 1/2, जाति रावत सा0 देह खातेदार	15, 562	0.20 0.1133	बा.दो. चा.दो. जा.दो.	
		02	0.3133		
2.	गेनसिंह पुत्र उमसिंह जाति रावत सा0 देह खातेदार	15/2 558/1 562/2	0.20 0.040 0.0733	बा.दो. चा.दो. जा.दो.	
		03	0.3133		
3	लक्ष्मणसिंह पुत्र प्रेमसिंह अणचीदेवी पत्नी प्रेमसिंह, शांता पुत्री प्रेमसिंह, पोनी पुत्री प्रेमसिंह, पुष्पा पुत्री प्रेमसिंह, विद्या पुत्री प्रेमसिंह, वैसुका पुत्री प्रेमसिंह, सुकिया	15/1 558 562/1	0.20 0.04 0.0734	बा.दो. चा.दो. जा.दो.	

	पुत्री प्रेमसिंह, कोकिला पुत्री प्रेमसिंह, नैना पुत्री प्रेमसिंह				
		01	0.3134		
4	गेनसिंह पुत्र उमसिंह हि. 1/3, लक्ष्मणसिंह पुत्र प्रेमसिंह, अणचीदेवी पत्नी प्रेमसिंह, शांता पुत्री प्रेमसिंह, पोनी पुत्री प्रेमसिंह, पुष्पा पुत्री प्रेमसिंह, विद्या पुत्री प्रेमसिंह, वैसुका पुत्री प्रेमसिंह, सुकिया पुत्री प्रेमसिंह, कोकिला पुत्री प्रेमसिंह, नैना पुत्री प्रेमसिंह हि. 1/3, मोतीसिंह पुत्र खेतसिंह हि. 1/3, हंजा पत्नि खेतसिंह हि. 1/3 जातिगण रावत सा0देह खातेदार	561	0.02	गे.मु. वेरा	

तहसीलदार सोजत उक्तानुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम कर पालना न्यायालय हाजा को प्रस्तुत करें। प्रतिवादी को वादी के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी करने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता है। इस निर्णय, डिकी पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति तहसीलदार सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित करके पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ला दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो

मीजान -

मुबलिंग -

बाबत --

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिल मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 18/11/2024 को जारी की गई।

(मासिगाराम)
उपरोक्त अधिकारी सोजत
सोजत, जिला-गर्हा

मददई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीरा कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुकमनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुकमनामा	शून्य	शून्य	मुताफरिफ	शून्य	शून्य
मतफरिफ	शून्य	शून्य			
मददई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.